



The Chhattisgarh Panchayat Raj (Amendment) Act, 2008

Act 13 of 2008

Keyword(s):
Panchayat Election

Amendments appended: 14 of 2019, 20 of 2019

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

- धारा 32 का संशोधन. 7. (1) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :-
- "परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी."
- धारा 36 का संशोधन. 8. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) तथा खण्ड (ड) का लोप किया जाय.
- धारा 61-क का संशोधन. 9. (1) मूल अधिनियम की धारा 61-क के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :-
- "परंतु, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 के अंतर्गत अधिसूचित नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में, इस अध्याय के प्रावधान लागू नहीं होंगे."
- धारा 65 का संशोधन. 10. (1) मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर, शब्द "सात वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक 5099/डी. 141/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2008)

CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-ninth year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sansodhan) Adhiniyam, 2008.
- (2) It extends to the whole of State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

- (1) After clause (ii) of sub-section (4) of section 13 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam) the following shall be inserted, namely :—

Amendment of section 13.

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

- (2) In sub-section (5) of section 13 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

- (3) In sub-section (6) of section 13 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

- (4) After sub-section (6) of section 13 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

3. (1) In sub-section (3) of section 17 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

Amendment of section 17.

- (2) After sub-section (4) of section 17 of the Principal Adhiniyam the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

- (3) After the word "Provided" in the first proviso to sub-section (4) of section 17 of the Principal Adhiniyam the word "further" shall be inserted.

4. (1) After clause (ii) of sub-section (3) of section 23 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

Amendment of section 23.

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

- (2) In sub-section (4) of section 23 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

- (3) In sub-section (5) of section 23 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

- (4) After sub-section (5) of section 23 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

5. (1) In clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.

Amendment of section 25.

- (2) After clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."

य
य
य
3)
ति
त
सगढ़
जाता
र,
चिव.
1993
olic of
dhan)
zette.

- Amendment section 30. of 6. (1) After clause (ii) of sub-section (3) of section 30 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—
- "Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."
- (2) After the word "provoided" in the first proviso to clause (ii) of sub-section (3) of section 30 of the Principal Adhiniyam, the word "further" shall be inserted.
- (3) In sub-section (4) of section 30 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.
- (4) In sub-section (5) of section 30 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.
- (5) After sub-section (5) of section 30 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—
- "Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."
- Amendment section 32. of 7. (1) In clause (b) of sub-section (2) of section 32 of the Principal Adhiniyam, for the words "one third" the word "half" shall be substituted.
- (2) After sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (2) of section 32 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—
- "Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation."
- Amendment section 36. of 8. (1) Clause-s (h) and (m) of sub-section (1) of section 36 of the Principal Adhiniyam shall be omitted.
- Amendment section 61-A. of 9. (1) After section 61-A of the Principal Adhiniyam, the following proviso shall be inserted, namely :—
- "Provided that provisions of this Chapter shall not apply to the area falling under the jurisdiction of Naya Raipur Development Authority notified under section 64 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973)."
- Amendment section 65. of 10. (1) In sub-section (1) of section 65 of the Principal Adhiniyam, for the words "five years" the words "seven years" shall be substituted.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 12, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्रमांक 8941/डी. 158/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 2 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (तेरह-क) का लोप किया जाये. |
| धारा 13 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 13 में,-
(1) उप-धारा (4) के खण्ड (दो) के परन्तुक का लोप किया जाये; तथा
(2) उप-धारा (6) के परन्तुक का लोप किया जाये. |
| धारा 17 का संशोधन. | 4. | मूल अधिनियम की धारा 17 में,-
(1) उप-धारा (4) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये; तथा
(2) उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" का लोप किया जाये. |
| धारा 23 का संशोधन. | 5. | मूल अधिनियम की धारा 23 में,-
(1) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के परन्तुक का लोप किया जाये; तथा
(2) उप-धारा (5) के परन्तुक का लोप किया जाये. |
| धारा 25 का संशोधन. | 6. | मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) में, प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये. |
| धारा 30 का संशोधन. | 7. | मूल अधिनियम की धारा 30 में,-
(1) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये;
(2) उप-धारा (3) के खण्ड (दो) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" का लोप किया जाये; तथा
(3) उप-धारा (5) के परन्तुक का लोप किया जाये. |
| धारा 32 का संशोधन. | 8. | मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में, प्रथम परन्तुक का लोप किया जाये. |

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्रमांक 8941/डी. 158/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-9-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2019)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In Section 2 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam), clause (xiii-a) shall be omitted. | Amendment of Section 2. |
| 3. | In Section 13 of the Principal Adhiniyam,- | Amendment of Section 13. |
| | (1) the proviso of clause (ii) of sub-section (4) shall be omitted; and | |
| | (2) the proviso of sub-section (6) shall be omitted. | |
| 4. | In Section 17 of the Principal Adhiniyam,- | Amendment of Section 17. |
| | (1) the first proviso of sub-section (4) shall be omitted; and | |
| | (2) in second proviso of sub-section (4), the word "further" shall be omitted. | |
| 5. | In Section 23 of the Principal Adhiniyam,- | Amendment of Section 23. |
| | (1) the proviso of clause (ii) of sub-section (3) shall be omitted; and | |
| | (2) the proviso of sub-section (5) shall be omitted. | |
| 6. | In sub-section (2) of Section 25 of the principal Adhiniyam, the first proviso shall be omitted. | Amendment of Section 25. |

**Amendment
Section 30.**

of 7.

In Section 30 of the Principal Adhiniyam,-

- (1) the first proviso of clause (ii) of sub-section (3) shall be omitted;
- (2) in second proviso of clause (ii) of sub-section (3), the word "further" shall be omitted; and
- (3) the proviso of sub-section (5) shall be omitted.

**Amendment
Section 32.**

of 8.

In sub-section (2) of Section 32 of the principal Adhiniyam, the first proviso shall be omitted.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 856]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2019 — पौष 2, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13128/डी. 231/21-अ/प्रारू./छ.ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-12-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 20 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 2 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 2 में, खण्ड (तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
“(इकतीस) “निःशक्त व्यक्ति” से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति;” |
| धारा 13 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम में, धारा-13 में, उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र एक निःशक्त व्यक्ति को विहित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो दो वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगी। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/ कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।” |
| धारा 22 का संशोधन. | 4. | मूल अधिनियम में, धारा 22 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो निःशक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरुष) को विहित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।” |
| धारा 29 का संशोधन. | 5. | मूल अधिनियम में, धारा 29 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-
“परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो निःशक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरुष) को विहित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा। ऐसे नामनिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।” |

6. मूल अधिनियम में, धारा 36 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“(ढ) जो साक्षर नहीं है;”
धारा 36 का संशोधन.
7. मूल अधिनियम में, धारा 44 में,
(एक) उप-धारा (2) में, शब्द “अधिकार होगा” के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान पर, कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये;
(दो) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“परन्तु नामांकित निःशक्त व्यक्ति का पंचायत के सम्मिलन/कार्यवाहियों में भाग लेने के संबंध में अधिकार ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाए, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।”
धारा 44 का संशोधन.
8. मूल अधिनियम में, धारा 46 में, उप-धारा (2) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“परन्तु यह और कि नामांकित निःशक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए।”
धारा 46 का संशोधन.
9. मूल अधिनियम में, धारा 47 में, उप-धारा (4) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“परन्तु यह और कि नामांकित निःशक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए।”
धारा 47 का संशोधन.

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13128/डी. 231/21-अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-12-2019 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2019)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019.

A Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.	1.	(1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
Amendment of Section 2.	2.	In Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), (hereinafter as the Principal Act), in Section 2, after clause (xxx), the following shall be added, namely:- "(xxxi) "Person with disability" means a persons with disability as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016);"
Amendment of Section 13.	3.	In the Principal Act, in Section 13, after sub-section (1), the following shall be substituted, namely :- "Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the State Government or any authority authorized by it shall nominate one person with disability as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 2 years. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."
Amendment of Section 22.	4.	In the Principal Act, in Section 22, in sub-section (1), after clause (i), the following shall be added, namely:- "Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the state government or any authority authorized by it shall nominate two persons with disability (one male and one female) as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 1 year. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."
Amendment of Section 29.	5.	In the Principal Act, in Section 29, in sub-section (1), after clause (i), the following shall be added, namely:- "Provided that, where after the election of Panchayat, if there is no representation of person with disability, the state government or any authority authorized by it shall nominate two persons with disability (one male and one female) as prescribed, to be eligible for being office bearer of Panchayat. Such nominated person shall be nominated for the remaining period of that Panchayat which shall be limited not less than the period of 1 year. The rights and duties of such nominated person under the provisions of this act shall be, as may be prescribed."
Amendment of Section 36.	6.	In the Principal Act, in Section 36, in sub-section (1), for clause (n), the following shall be substituted, namely :- "(n) who are not literate;"

7. In the Principal Act, in Section 44,- **Amendment of Section 44.**
- (i) in sub-section (2), after the words "meeting of the Panchayats", for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;
- (ii) after sub-section (2), the following shall be added, namely:-
"Provided that rights related to participation in meeting/proceedings of the Panchayat of nominated persons with disability shall be, as may be prescribed, but they shall not have right to vote."
8. In the Principal Act, in Section 46, in sub-section (2), after the second proviso, the following shall be added, namely:- **Amendment of Section 46.**
- "Provided further that nominated persons with disability shall be member of such Committees, as may be prescribed."
9. In the Principal Act, in Section 47, in sub-section (4), after the second proviso, the following shall be added, namely:- **Amendment of Section 47.**
- "Provided further that nominated persons with disability shall be member of such Committees, as may be prescribed."